धारा 34 की सहायता के बिना भी भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध किया जा सकता है । जैसा कि इसमें ऊपर मत व्यक्त किया गया है, दोनों निचले न्यायालयों ने अभियुक्त-1 को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए और अन्य अभियुक्तों – अभि. 2 और अभि. 3 को भारतीय दंड संहिता की धारा 34 की सहायता से भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए ठीक ही दोषसिद्ध किया है । इन परिस्थितियों में, यह अपील असफल होती है और खारिज किए जाने योग्य है तथा तद्नुसार खारिज की जाती है ।

अपील खारिज की गई ।

जस.

[2021] 3 उम. नि. प. 135

सय्यद अयाज अली

बनाम

प्रकाश जी. गोयल और अन्य

[2021 की सिविल अपील सं. 2401-2402]

20 जुलाई, 2021

न्यायमूर्ति डा. धनंजय वाई. चद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एम. आर. शाह

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) – आदेश 7, नियम 11, धारा 2(2) और 96 – वादपत्र का नामंजूर किया जाना – वादी को उपलब्ध उपचार – चूंकि विचारण न्यायालय का वादपत्र को नामंजूर करने वाला आदेश 'डिक्री' की परिभाषा के अंतर्गत आता है, इसलिए ऐसे आदेश के विरुद्ध धारा 96 के अधीन प्रथम अपील फाइल की जाएगी और संविधान के अनुच्छेद 227 के अधीन रिट याचिका फाइल करके उपचार की ईप्सा नहीं की जा सकती है ।

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 – आदेश 7, नियम 11(घ) और परंतुक [सपठित विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 की धारा 34] – वादपत्र का नामंजूर किया जाना – जहां विचारण न्यायालय को वादपत्र में के कथनों से वाद किसी विधि द्वारा वर्जित प्रतीत होता है और उसे नामंजूर कर दिया जाता है, तो न्यायालय द्वारा वादी को समुचित अनुतोष की ईप्सा करते हुए वादपत्र का संशोधन करने की स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती है, चूंकि आदेश 7, नियम 11 के परंतुक के अंतर्गत केवल खंड (ख) और (ग) के अधीन आने वाले मामले ही आते हैं और आदेश 7, नियम 11 का खंड (घ) लागू नहीं होगा ।

इस अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी सिविल न्यायाधीश, ज्येष्ठ प्रभाग, नागपुर के समक्ष संस्थित एक वाद में वादी है । प्रथम प्रत्यर्थी ने वादपत्र को नामंजूर करने के लिए इस आधार पर एक आवेदन फाइल किया कि वाद सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 7, नियम 11 के खंड (ख) और (घ) के अधीन वर्जित है । पंचम संयुक्त सिविल न्यायाधीश, कनिष्ठ प्रभाग, नागपुर द्वारा आवेदन मंजूर किया गया । तथापि, ऐसा करते हुए अपीलार्थी को "निदेश दिया गया कि वह 15 दिन के भीतर उचित अनुतोष की ईप्सा करे और उस पर न्यायालय फीस का संदाय करे, अन्यथा समुचित आदेश पारित किया जाएगा" । प्रतिवादी 1-क से घ और प्रतिवादी सं. 2 (इन कार्यवाहियों में प्रत्यर्थी सं. 1 से 5) द्वारा विचारण न्यायाधीश के इस आदेश को, जहां तक इसमें अपीलार्थी को समुचित अनुतोषों की ईप्सा करने के लिए संशोधन करने की अनुज्ञा दी गई थी, 2017 के एक सिविल पुनरीक्षण आवेदन सं. 124 में उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई । अपीलार्थी ने दंड प्रक्रिया संहिता के आदेश 7, नियम 11 के अधीन आवेदन को मंजूर करते हुए विचारण न्यायाधीश के आदेश को चुनौती देने के लिए संविधान के अनुच्छेद 227 के अधीन एक रिट याचिका संस्थित की । उच्च न्यायालय ने सिविल पुनरीक्षण आवेदन और रिट याचिका दोनों का एक सामान्य निर्णय द्वारा विनिश्चय किया गया । एकल न्यायाधीश ने यह अभिनिर्धारित किया कि चूंकि वादपत्र आदेश 7, नियम 11(घ) के अधीन नामंजूर किया गया था, इसलिए यह निदेश देने का कोई कारण नहीं था कि वादपत्र में संशोधन

किया जाए । सिविल पुनरीक्षण आवेदन को इसी आधार पर मंजूर किया गया । अपीलार्थी द्वारा फाइल की गई रिट याचिका को "सोचा-समझा और विलंबित" अभिनिर्धारित किया गया और रिट कार्यवाहियों में अपीलार्थी को कोई अनुतोष प्रदान नहीं किया गया । वादी-अपीलार्थी द्वारा विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय के निर्णय से व्यथित होकर उच्चतम न्यायालय में अपीलें फाइल की गई । उच्चतम न्यायालय द्वारा अपीलों का निपटारा करते हुए,

अभिनिर्धारित – सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 2(2) में "डिक्री" की परिभाषा में "किसी वादपत्र का नामंजूर किया जाना सम्मिलित समझा जाएगा" । अत: विचारण न्यायालय का वादपत्र को नामंजूर करने का आदेश सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 96 के अधीन प्रथम अपील के अध्यधीन है । अपीलार्थी द्वारा फाइल की गई रिट याचिका इस आधार पर नामंजूर किए जाने योग्य थी । अत: यह न्यायालय रिट याचिका को नामंजूर करने वाले उच्च न्यायालय के निर्णय की अभिपुष्टि करता है, यद्यपि उपरोक्त कारण से अपीलार्थी विधि में उपलब्ध उपचार को जारी रखने के लिए स्वतंत्र है । (पैरा 12)

उच्च न्यायालय ने अपनी पुनरीक्षण अधिकारिता का प्रयोग करते हुए प्रथम और द्वितीय प्रतिवादियों का यह अभिवाक् स्वीकार किया था कि विचारण न्यायाधीश ने आदेश 7, नियम 11(घ) के अधीन आवेदन को मंजूर करने के पश्चात् अपीलार्थी-वादी को समुचित अनुतोषों की ईप्सा करते हुए और न्यायालय फीस का संदाय करके वादपत्र का संशोधन करने की स्वतंत्रता प्रदान करके न्यायोचित नहीं किया था । उक्त आदेश का परंतुक ऐसी स्थिति के संबंध में है, जहां न्यायालय द्वारा मूल्यांकन की शुद्धि के लिए या अपेक्षित स्टांप-पत्र के देने के लिए समय नियत किया गया है । परंतुक के अधीन, इस प्रकार नियत किया गया समय तब तक नहीं बढ़ाया जाएगा जब तक कि न्यायालय का अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से यह समाधान नहीं हो जाता है कि वादी किसी असाधारण कारण से न्यायालय द्वारा नियत समय का पालन करने से निवारित हुआ था और ऐसे समय के बढ़ाने से इनकार

किए जाने से वादी के प्रति गंभीर अन्याय होगा । परंतुक के अंतर्गत स्पष्ट रूप से खंड (ख) और (ग) की परिधि के अधीन आने वाले मामले आते हैं और आदेश 7, नियम 11(घ) के अधीन वादपत्र के नामंजूर किए जाने के बारे में लागू नहीं होता है । इन परिस्थितियों में उच्च न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकालकर न्यायोचित किया था कि विचारण न्यायाधीश द्वारा जो अतिरिक्त निदेश दिया गया था, वह विधि के अनुरूप नहीं था । चूंकि रिट याचिका की खारिजी को इस आधार पर कायम रखा गया है कि वादपत्र को नामंजूर करने का आदेश सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 2(2) के अर्थांतर्गत एक डिक्री के रूप में प्रवर्तित होता है, इसलिए अपीलार्थी वादपत्र को नामंजूर करने के विरुद्ध सिविल प्रक्रिया संहिता द्वारा यथा विहित उपचार का आश्रय लेने के लिए स्वतंत्र है । (पैरा 13 और 14)

अपीली (सिविल) अधिकारिता : 2021 की सिविल अपील सं. 2401-2402.

2017 के सिविल पुनरीक्षण आवेदन सं. 124 में बंबई उच्च न्यायालय के तारीख 14 सितंबर, 2018 के निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपील ।

अपीलार्थी की ओर से श्री विनय नवारे, ज्येष्ठ अधिवक्ता

प्रत्यर्थियों की ओर से श्री पंकज कोठारी

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति डा. धनंजय वाई. चंद्रचूड़ ने दिया ।

न्या. डा. चंद्रचूड़ – ये अपीलें बंबई उच्च न्यायालय की नागपुर न्यायपीठ के एकल न्यायाधीश के निर्णय से उद्भूत हुई हैं ।

2. अपीलार्थी सिविल न्यायाधीश, ज्येष्ठ प्रभाग, नागपुर के समक्ष संस्थित एक वाद में वादी है । प्रथम प्रत्यर्थी ने वादपत्र को नामंजूर करने के लिए इस आधार पर एक आवेदन, प्रदर्श 50, फाइल किया कि यह वाद सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (जिसे आगे संक्षेप में सिविल प्रक्रिया संहिता कहा गया है) के आदेश 7, नियम 11 के खंड (ख) और (घ) के अधीन वर्जित है । पंचम संयुक्त सिविल न्यायाधीश, कनिष्ठ

प्रभाग, नागपुर द्वारा आवेदन मंजूर किया गया । तथापि, ऐसा करते हुए अपीलार्थी को "निदेश दिया गया कि वह 15 दिन के भीतर उचित अनुतोष की ईप्सा करे और उस पर न्यायालय फीस का संदाय करे, अन्यथा समुचित आदेश पारित किया जाएगा" । प्रतिवादी 1-क से घ और प्रतिवादी सं. 2 (इन कार्यवाहियों में प्रत्यर्थी सं. 1 से 5) द्वारा विचारण न्यायाधीश के इस आदेश को, जहां तक इसमें अपीलार्थी को समुचित अनुतोषों की ईप्सा करने के लिए संशोधन करने की अनुज्ञा दी गई थी, 2017 के एक सिविल पुनरीक्षण आवेदन सं. 124 में उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई । अपीलार्थी ने दंड प्रक्रिया संहिता के आदेश 7, नियम 11 के अधीन आवेदन को मंजूर करते हुए विचारण न्यायाधीश के आदेश को चुनौती देने के लिए संविधान के अनुच्छेद 227 के अधीन एक रिट याचिका (2018 की रिट याचिका सं. 4508) संस्थित की । उच्च न्यायालय ने सिविल पुनरीक्षण आवेदन और रिट याचिका दोनों का एक सामान्य निर्णय द्वारा विनिश्चय किया गया । एकल न्यायाधीश ने यह अभिनिर्धारित किया कि चूंकि वादपत्र आदेश 7, नियम 11(घ) के अधीन नामंजूर किया गया था, इसलिए यह निदेश देने का कोई कारण नहीं था कि वादपत्र में संशोधन किया जाए । सिविल पुनरीक्षण आवेदन को इसी आधार पर मंजूर किया गया । अपीलार्थी द्वारा फाइल की गई रिट याचिका को "सोचा-समझा और विलंबित" अभिनिर्धारित किया गया और रिट कार्यवाहियों में अपीलार्थी को कोई अनुतोष प्रदान नहीं किया गया । इसी कारण से ये कार्यवाहियां इस न्यायालय में आई हैं । अपीलार्थी आवश्यक रूप से सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7, नियम 11(घ) के अधीन आवेदन को मंजूर करने वाले विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय के विनिश्चय से व्यथित है ।

3. चूंकि प्रस्तुत मामले में संविवाद आदेश 7, नियम 11 के अधीन आवेदन से उद्भूत हुए हैं, इसलिए वादपत्र की अंतर्वस्तुओं को संक्षेप में उपवर्णित करना आवश्यक होगा । पक्षकारों को वाद में उनकी अपनी-अपनी स्थितियों के आधार पर निर्दिष्ट किया जाएगा । वादी का यह दावा था कि वह तृतीय प्रतिवादी, जो कि एक वित्तीय दलाल है, के

संपर्क में आया था । तृतीय प्रतिवादी ने अभिकथित रूप से सात लाख रुपए के ऋण का पांच प्रतिशत प्रति माह के ब्याज पर इस बात के अध्यधीन रहते हुए प्रबंध किया था कि वादी ऋण की प्रतिभूति के रूप में एक करार और कोरे दस्तावेजों का निष्पादन करे । वादी ने सात लाख रुपए के ऋण के विरुद्ध अभिकथित रूप से तृतीय प्रतिवादी के नाम निर्देशितियों के पक्ष में तारीख 3 अप्रैल, 2012 को एक करार किया था और दस्तावेज निष्पादित किए थे, जो कोरे थे । उसके पश्चात्, यह अभिकथन किया गया है कि वादी को 22 लाख रुपए की अतिरिक्त वित्तीय सहायता की आवश्यकता पड़ी और तृतीय प्रतिवादी को प्रथम प्रतिवादी के पास लेकर गया । प्रथम प्रतिवादी अभिकथित रूप से 22 लाख रुपए का ऋण इस शर्त पर देने के लिए सहमत हुआ कि वादी ऋण के प्रतिदाय के लिए प्रतिभूति हेतु मौजा: कन्होली की भूमि का विक्रय विलेख निष्पादित करे । यह रकम तारीख 11 मई, 2012 को संदत्त की गई थी और इस पर 5 प्रतिशत प्रति माह का ब्याज लगाना था तथा प्रतिफलस्वरूप वादी ने अभिकथित रूप से तारीख 11 मई, 2012 के विक्रय विलेख सहित दस्तावेज निष्पादित किए । इसी बीच, चतुर्थ प्रतिवादी ने अभिकथित रूप से खसरा सं. 82/3 मौजा: गोरेवाड़ा पी. आर. सं. 9, तहसील और जिला नागपुर में स्थित भूमि में से 25.009 वर्ग फुट माप के भूखण्ड सं. 23-क, 29, 34, 35-क, 24, 25, 26, 27 और 28 को बेचने की इच्छा जाहिर की । इस संपत्ति को वाद संपत्ति के रूप में निर्दिष्ट किया गया है । चतुर्थ प्रतिवादी ने अभिकथित रूप से अपने पक्ष में तारीख 22 मार्च, 2011 का एक करार दिखाया । वादी ने अभिकथित रूप से शोएब असद, मुर्तजा खान और शशिकांत गृहणीमन सहकारी संस्था के बीच हुए कतिपय दस्तावेज दिखाए । यह कहा गया है कि बातचीत के पश्चात्, वादी 1,950/- रुपए प्रति वर्ग फुट पर वाद संपत्ति का क्रय करने के लिए सहमत हुआ, जिसमें से वादी शशिकांत गृहणीमन सहकारी संस्था को 1,400/- रुपए प्रति वर्ग फुट पर और चतुर्थ प्रतिवादी को 550/- रुपए प्रति वर्ग फुट पर संदाय करने के लिए सहमत हुआ । चूंकि वादी के पास संपत्ति का क्रय करने के लिए निधियां नहीं थीं, यह अभिकथित है कि वह तृतीय प्रतिवादी के माध्यम

से प्रथम प्रतिवादी को मिला और इस रकम के लिए ऋण लेने की ईप्सा की । तृतीय प्रतिवादी अभिकथित रूप से 1.5 करोड़ का ऋण देने के लिए इस शर्त के साथ सहमत हुआ कि 7 लाख और 22 लाख रुपए के पूर्ववर्ती ऋणों की इसमें से कटौती की जाएगी । वादी के अनुसार, तथापि एक शर्त यह थी कि भूखण्ड सं. 23-क और 24 का विक्रय विलेख ऋण के प्रतिदाय की प्रतिभूति के लिए सीधे तौर पर प्रथम प्रतिवादी और द्वितीय प्रतिवादी के नाम में निष्पादित किया जाएगा और भूखण्ड सं. 25 से 29, 34 और 34क का विक्रय विलेख प्रथम और द्वितीय प्रतिवादियों तथा वादी के संयुक्त नाम में निष्पादित किया जाएगा । वादी ने अभिकथित रूप से वाद संपत्ति का क्रय करने के लिए तारीख 15 जून, 2012 को एक करार किया । यह रकम अभिकथित रूप से वादी द्वारा प्रथम प्रतिवादी से अभिप्राप्त किए गए ऋण के लिए संदत्त की गई थी । भूखण्ड सं. 23-क और 24 के लिए विक्रय विलेख का निष्पादन किया गया था और प्रथम तथा द्वितीय प्रतिवादियों के नाम में तारीख 27 जून, 2012 को रजिस्ट्रीकृत किया गया था, जबकि शेष भूखण्डों के लिए विक्रय विलेख प्रथम और द्वितीय प्रतिवादियों तथा वादी के संयुक्त नाम निष्पादित किया गया था । वादी ने संपूर्ण वाद संपत्ति के अनन्य कब्जे के लिए दावा किया और उसका पक्षकथन यह है कि प्रथम और द्वितीय प्रतिवादी के नामों को विक्रय विलेख में केवल ऋण के प्रतिदाय के लिए प्रतिभूति हेतु सम्मिलित किया गया था ।

4. वादी का दावा है कि उसने भूमि पर विकास करना आरंभ किया और तारीख 28 सितंबर, 2012 को इसके साथ सटा भूखण्ड सं. 9-क खरीद लिया । वादी के अनुसार, तारीख 26 सितंबर, 2012 को प्रथम और तृतीय प्रतिवादी वाद संपत्ति पर आए और 1.5 करोड़ रुपए के ऋण का ब्याज सहित प्रतिदाय करने की मांग की । वादी ने अभिकथित रूप से तारीख 8 सितंबर, 2012 को कतिपय संदाय किए थे और माह नवंबर और दिसंबर, 2012 के लिए ब्याज हेतु आगे की तारीख डाले हुए चैक दिए थे । अपीलार्थी का यह अभिकथन है कि उसने भूखण्डों को समतल करने का कार्य पूर्ण किया । तारीख 24 सितंबर, 2012 को तृतीय, चतुर्थ और पंचम प्रतिवादी अभिकथित रूप से तीन अज्ञात व्यक्तियों के साथ

वाद संपत्ति पर आए और दो दिनों के भीतर 1.5 करोड़ रुपए का संदाय करने की मांग की । यह अभिकथन किया गया है कि पुलिस ने वादी द्वारा रजिस्ट्रीकृत की गई शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की ।

5. प्रथम और द्वितीय प्रतिवादी ने अभिकथित रूप से स्थानीय पुलिस की सहायता से वादी के विरुद्ध आपराधिक कृत्य करने के लिए प्रतिवादी सं. 3 से 5 के साथ षड्यंत्र रचा था । तारीख 28 नवंबर, 2012 को भारतीय दंड संहिता की धारा 143, 147, 447 और 427 के अधीन 2012 का अपराध सं. 475 रजिस्ट्रीकृत किया गया था । वादी के अनुसार, वाद के लंबित रहने के दौरान प्रथम और द्वितीय प्रतिवादी के साथ एक समझौता हो गया था । यह अभिकथन किया गया है कि यद्यपि समझौते के अनुसरण में प्रथम और द्वितीय प्रतिवादी को कतिपय रकमों का संदाय किया गया था, तो भी उन्होंने इसके बदले में एक विक्रय विलेख का निष्पादन करने से इनकार कर दिया था और वादी से समझौते की आड़ में 50 लाख रुपए की रकम वसूल की गई थी ।

वाद में जिन अनुतोषों की ईप्सा की गई थी, वे निम्नलिखित हैं :–

> "1. यह घोषणा की जाए कि तारीख 24 नवंबर, 2012 को प्रतिवादी सं. 3 से 5 के वाद संपत्ति में प्रवेश करने के कृत्य और मारपीट/हमला करने और वादी के शांतिपूर्ण कब्जे में हस्तक्षेप करना आपराधिक, अवैध, मनमाना और किसी प्राधिकार के बिना है ।
>
> 2. वाद संपत्ति पर वादी के शांतिपूर्ण कब्जे में हस्तक्षेप करने और वादी को न्याय के हित में स्थायी रूप से किसी भी रीति में वाद संपत्ति से बेकब्जा करने से प्रतिवादियों, उनके अभिकर्ताओं, नौकरों और उनकी ओर से कार्य करने वाले व्यक्ति को निर्बंधित करते हुए स्थायी शाश्वत व्यादेश के लिए डिक्री पारित की जाए ।"

6. तारीख 26 नवंबर, 2012 को वाद संस्थित करने के पश्चात् द्वितीय प्रतिवादी की ओर से सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 के

नियम 11 के खण्ड (ख) और (घ) के अधीन वादपत्र को नामंजूर करने के लिए एक आवेदन फाइल किया गया । वादपत्र को इस आधार पर नामंजूर करने की ईप्सा की गई थी कि वादी ने प्रथम और द्वितीय प्रतिवादियों के पक्ष में विक्रय विलेख निष्पादित करने की बात स्वीकार की थी । इसके बावजूद, इन विक्रय विलेखों के संबंध में अविधिमान्यता की घोषणा के लिए ईप्सा नहीं की गई थी । यह दलील दी गई कि वादी ने विक्रय विलेखों को इस आधार पर रद्द करने की ईप्सा नहीं की थी कि वे ऋण संव्यवहार के लिए केवल प्रतिभूति के रूप में निष्पादित किए गए थे । इसके अतिरिक्त, वादी द्वारा इस आशय की घोषणा की भी ईप्सा नहीं की गई थी कि विक्रय विलेखों से प्रतिवादियों को कोई अधिकार, हक या हित प्रदत्त नहीं होता है । इसके परिणामस्वरूप, वाद विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 की धारा 34 द्वारा वर्जित होगा ।

7. विचारण न्यायाधीश द्वारा तारीख 1 अगस्त, 2017 को आदेश 7, नियम 11 के अधीन आवेदन को नामंजूर कर दिया गया । विचारण न्यायाधीश ने यह मत व्यक्त किया कि वादी ने केवल यह घोषणा करने के लिए दावा किया था कि तारीख 24 नवंबर, 2012 को वाद संपत्ति पर प्रतिवादियों का प्रवेश करने का कृत्य अवैध है, इसके अतिरिक्त, वादी के कब्जे की संरक्षा करने के लिए एक स्थायी व्यादेश की ईप्सा की गई है । विचारण न्यायाधीश ने यह अभिनिर्धारित किया कि वादी इस घोषणा की ईप्सा करने में असफल रहा है की विक्रय विलेख ऋण संव्यवहार के लिए केवल प्रतिभूति के रूप में निष्पादित किए गए थे, इसलिए विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 34 के उपबंधों को देखते हुए वाद बनाए रखने योग्य नहीं है । विचारण न्यायाधीश ने यह अभिनिर्धारित किया है :–

> "14. ..... जैसा कि ऊपर विचार-विमर्श किया गया है, वादी ने न तो अभिकथित विक्रय विलेखों के रद्दकरण के अनुतोष की ईप्सा की है और न ही यह घोषणा करने की ईप्सा की है कि अभिकथित विक्रय विलेख प्रतिभूति के प्रयोजन के लिए निष्पादित किए गए थे, न कि इसके सही अर्थ अनुसार । अत: मेरा यह मत है कि प्रस्तुत

आवेदन मंजूर किए जाने योग्य है । तथापि, जैसा कि ऊपर विचार-विमर्श किया गया है, वादी उन पर अपेक्षित न्यायालय फीस का संदाय करने के लिए तैयार है । इसलिए मैं बिंदु सं. 1 पर अपना निष्कर्ष सकारात्मक देता हूं और जहां तक बिंदु सं. 2 का संबंध है, मैं निम्नलिखित आदेश पारित करता हूं :–

आदेश

(1) आवेदन मंजूर किया जाता है ।

(2) वादी को 15 दिन के भीतर उचित अनुतोष की ईप्सा करने और न्यायालय फीस का संदाय करने का निदेश दिया जाता है, अन्यथा समुचित आदेश पारित किया जाएगा ।"

8. वादी-अपीलार्थी को आदेश 7, नियम 11 के अधीन आवेदन को मंजूर करने के बावजूद वादपत्र का संशोधन करने के लिए स्वतंत्रता प्रदान करते हुए पारित किए गए आदेश से व्यथित होकर प्रतिवादी सं. 1-क से 1-घ और प्रतिवादी सं. 2 (इस न्यायालय के समक्ष प्रत्यर्थी सं. 2-5 और प्रत्यर्थी सं. 1) ने उच्च न्यायालय के समक्ष एक सिविल पुनरीक्षण आवेदन फाइल किया । अपीलार्थी ने प्रतिवादी सं. 2 के आदेश 7, नियम 11 के अधीन आवेदन (प्रदर्श-50) को मंजूर करते हुए विचारण न्यायाधीश के आदेश को चुनौती देते हुए तारीख 11 सितंबर, 2017 और 23 जुलाई, 2018 को एक रिट याचिका संस्थित की । उच्च न्यायालय ने तारीख 14 सितंबर, 2018 के अपने निर्णय और आदेश द्वारा यह अभिनिर्धारित किया कि :–

(i) वादपत्र का अनुशीलन करने पर यह स्पष्ट है कि विक्रय विलेख प्रथम और द्वितीय प्रतिवादी के नाम में भूखण्ड सं. 23क और 24 के संबंध में निष्पादित किए गए थे ;

(ii) विक्रय विलेख भूखण्ड सं. 25 से 29, 34 और 34क की बाबत वादी के साथ-साथ प्रथम और द्वितीय प्रतिवादियों के संयुक्त नाम में निष्पादित किए गए थे ;

(iii) वादी के अनुसार, प्रथम और द्वितीय प्रतिवादियों के नाम में

ये विक्रय विलेख ऋण के प्रतिदाय के लिए प्रतिभूति थे ;

(iv) वादी के लिए यह घोषणा करने की ईप्सा करना आवश्यक था कि विक्रय विलेख केवल ऋण के प्रतिदाय के लिए प्रतिभू के रूप में निष्पादित किए गए थे और ऐसी घोषणा की ईप्सा करने में असफल रहना विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 की धारा 34 के परंतुक के क्षेत्र में आएगा ;

(v) विचारण न्यायालय ने सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7, नियम 11(घ) के अधीन आवेदन को मंजूर करके वादी को उचित अनुतोष की ईप्सा करने और कोर्ट फीस का संदाय करने के लिए वादपत्र का संशोधन करने के लिए समय प्रदान करके गलती की है । जहां वादपत्र को आदेश 7, नियम 11(घ) के अधीन नामंजूर किया जाता है, वहां वादपत्र में की त्रुटियों का सुधार करने के लिए वादी को समय प्रदान करने का प्रश्न पैदा नहीं होगा । जहां वादपत्र में किए गए कथनों से वाद किसी विधि द्वारा वर्जित होना प्रतीत होता है, वहां त्रुटियां ठीक करने योग्य नहीं होती हैं ; और

(vi) आदेश 7, नियम 11(घ) के अधीन वादपत्र को नामंजूर करने वाले आदेश को वादी द्वारा दी गई चुनौती सारहीन है । प्रदर्श-50 पर आदेश तारीख 1 अगस्त, 2017 को पारित किया गया था । वादी ने इस आदेश के आधार पर तारीख 14 अगस्त, 2017 को विक्रय विलेखों की बाबत घोषणा करने की ईप्सा करते हुए आदेश 6, नियम 17 के अधीन वादपत्र का संशोधन करने की ईप्सा की थी । प्रदर्श-50 के अधीन आदेश को तारीख 12 सितंबर, 2017 को एक सिविल पुनरीक्षण आवेदन में चुनौती दी गई थी और वादी को अप्रैल, 2018 में प्रतिस्थापित तामीली की गई थी तथा तारीख 24 जुलाई, 2018 को वादी ने प्रदर्श-50 के अधीन आदेश को चुनौती देने की ईप्सा की थी । परिणामतः, यह चुनौती विलंबित और सोची-समझी है ।

9. अपीलार्थी-वादी की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् ज्येष्ठ

काउंसेल श्री विनय नवारे ने यह दलील दी कि उच्च न्यायालय ने विचारण न्यायाधीश के इस निष्कर्ष को गलत रूप से कायम रखा है कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7, नियम 11 के अधीन आवेदन को मंजूर किया जाना चाहिए था । आदेश 7, नियम 11(घ) के अधीन, कोई वादपत्र नामंजूर कर दिया जाएगा "जहां यह प्रतीत होता है कि वादपत्र में किए गए कथनों से वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है" । अपीलार्थी ने तृतीय, चतुर्थ और पंचम प्रतिवादियों के विरुद्ध तारीख 24 सितंबर, 2012 को संपत्ति पर प्रवेश करने के उनके कृत्य और वादी के शांतिपूर्ण कब्जे में हस्तक्षेप करने के संबंध में एक घोषणा करने की ईप्सा की । सभी प्रतिवादियों के विरुद्ध उन्हें वाद संपत्ति पर वादी के शांतिपूर्ण कब्जे में हस्तक्षेप करने से निर्बंधित करते हुए एक व्यादेश की ईप्सा की गई । विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 34[1] में यह उपदर्शित है कि –

(i) कोई व्यक्ति, जो किसी संपत्ति के बारे में किसी विधिक हैसियत का या किसी अधिकार का हकदार हो, ऐसे किसी व्यक्ति के विरुद्ध, जो ऐसी हैसियत या अधिकार का प्रत्याख्यान करता है या प्रत्याख्यान करने में हितबद्ध है, वाद संस्थित कर सकेगा ;

(ii) न्यायालय स्वविवेक से यह घोषणा कर सकेगा कि वादी ऐसा

---

[1]"**34. प्रास्थिति की या अधिकार की घोषणा के बारे में न्यायालय का विवेकाधिकार** – कोई व्यक्ति, जो किसी विधिक हैसियत का या किसी संपत्ति के बारे में किसी अधिकार का हकदार हो, ऐसे किसी व्यक्ति के विरुद्ध जो ऐसी हैसियत का या ऐसे अधिकार के हक का प्रत्याख्यान करने में हितबद्ध हो, वाद संस्थित कर सकेगा और न्यायालय स्वविवेक से यह घोषणा कर सकेगा कि वादी ऐसा हकदार है और वादी के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह वाद में किसी अतिरिक्त अनुतोष की मांग करे :

परंतु कोई भी न्यायालय वहां ऐसी घोषणा नहीं करेगा जहां कि वादी हक की घोषणा मात्र के अतिरिक्त कोई अनुतोष मांगने के योग्य होते हुए भी वैसा करने में लोप करे ।

स्पष्टीकरण – संपत्ति का न्यासी ऐसे हक का प्रत्याख्यान करने में 'हितबद्ध व्यक्ति' है जो ऐसे व्यक्ति के हक के प्रतिकूल हो, जो अस्तित्व में नहीं है और जिसके लिए वह न्यासी होता यदि वह व्यक्ति अस्तित्व में होता ।"

हकदार है और वादी के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह वाद में किसी अतिरिक्त अनुतोष की मांग करे ;

(iii) परंतुक के अधीन, कोई भी न्यायालय वहां ऐसी घोषणा नहीं करेगा जहां कि वादी हक की घोषणा मात्र के अतिरिक्त कोई अनुतोष मांगने के योग्य होते हुए भी वैसा करने में लोप करे ।

यह आग्रह किया गया है कि धारा 34 का परंतुक उस स्थिति में लागू होता है जहां वादी ने हक की मात्र घोषणा करने की मांग की है किंतु इसके अतिरिक्त या पारिणामिक अनुतोष की ईप्सा करने में लोप करता है । यह दलील दी गई है कि प्रस्तुत मामले में, वाद हक की घोषणा का दावा किए बिना पूर्णरूपेण वादी के कब्जे का संरक्षण करने के लिए संस्थित किया गया था । दी गई दलील के अनुसार, हक की घोषणा की ईप्सा करना आज्ञापक नहीं है – धारा 34 के परंतुक में जो उपबंधित है वह यह है कि अतिरिक्त अनुतोष की ईप्सा किए बिना हक की मात्र घोषणा करने की ईप्सा करना अननुज्ञेय है । इन आधारों पर, यह आग्रह किया गया है कि वाद को विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 34 द्वारा वर्जित होना अभिनिर्धारित नहीं किया जा सकता था । विद्वान् काउंसेल ने यह आग्रह किया कि वादी-अपीलार्थी द्वारा हक की घोषणा की ईप्सा करने के अभाव में वाद बनाए रखने योग्य होगा या नहीं, यह एक सुभिन्न प्रश्न है किंतु इसे आदेश 7, नियम 11(घ) के अर्थांतर्गत किसी विधि द्वारा वर्जित होना अभिनिर्धारित नहीं किया जा सकता है । अपीलार्थी ने तारीख 23 जुलाई, 2018 को उच्च न्यायालय के समक्ष आदेश 7, नियम 11 के अधीन वादपत्र को नामंजूर करने के लिए आवेदन (प्रदर्श-50) को मंजूर करते हुए विचारण न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए एक रिट याचिका संस्थित की । स्पष्टता के लिए, उन अनुतोषों को उद्धृत करना आवश्यक है, जिनका उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका में दावा किया गया था :–

"1. ..... आर. सी. एस. सं. 4990/2012 (सय्यद **बनाम** ओम मित्तल और अन्य) में पंचम संयुक्त सिविल न्यायाधीश, कनिष्ठ प्रभाग, नागपुर द्वारा तारीख 1 अगस्त, 2017 को पारित किए गए

आदेश, प्रदर्श-50 (उपाबंध-एफ) को अभिखंडित और अपास्त किया जाए .....।

2. पंचम संयुक्त सिविल न्यायाधीश, कनिष्ठ प्रभाग की फाइल पर लंबित आर. सी. एस. सं. 4990/2012 (सय्यद **बनाम** ओम मित्तल और अन्य) में फाइल किए गए प्रदर्श-50 पर आवेदन को न्याय के हित में नामंजूर किया जाए ।"

10. उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय के दौरान रिट याचिका को इस आधार पर नामंजूर कर दिया कि यह "सोच-समझकर और विलंबित तरीके से" फाइल की गई है । विचारण न्यायाधीश के तारीख 1 अगस्त, 2017 के आदेश के पश्चात् ही अपीलार्थी ने तारीख 14 अगस्त, 2017 को विचारण न्यायाधीश द्वारा प्रश्नगत विक्रय विलेखों के संबंध में घोषणा करने की ईप्सा करने के लिए वादपत्र में संशोधन करने हेतु प्रदान की गई स्वतंत्रता के निबंधनों के अनुसार आदेश 6, नियम 17 के अधीन एक आवेदन फाइल किया । वाद में के प्रथम और द्वितीय प्रतिवादियों ने विचारण न्यायाधीश द्वारा प्रदान की गई स्वतंत्रता को तारीख 12 सितंबर, 2017 को एक पुनरीक्षण आवेदन फाइल करके चुनौती दी और फिर तारीख 24 जुलाई, 2018 को अपीलार्थी-वादी ने आदेश 7, नियम 11(घ) के अधीन वादपत्र को नामंजूर करने वाले आदेश को चुनौती दी ।

11. प्रत्यर्थी-प्रतिवादियों की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल, श्री पंकज कोठारी ने रिट याचिका की संधार्यता पर इस आधार पर एक प्रारंभिक आक्षेप किया कि वादपत्र को नामंजूर किए जाने के विरुद्ध अपीलार्थी के पास एक नियमित प्रथम अपील फाइल करने का उपचार था, चूंकि नामंजूर करने का आदेश एक डिक्री के रूप में लागू होता है । यह आग्रह किया गया है कि अपीलार्थी ने, विचारण न्यायाधीश के आदेश का पालन करने के पश्चात्, अपील फाइल करने की बजाय जान-बूझकर रिट याचिका फाइल की जिससे कि अपील फाइल करने में परिसीमा के प्रश्न से बचा जा सके । विद्वान् ज्येष्ठ काउंसेल, श्री नवारे ने यह आग्रह करते हुए इस दलील का विरोध किया कि चूंकि प्रथम और

द्वितीय प्रतिवादियों द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष एक सिविल पुनरीक्षण आवेदन फाइल किया गया था, इसलिए अपीलार्थी-वादी ने उच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता का अवलंब लेकर न्यायोचित किया था । इसके अतिरिक्त, उन्होंने यह दलील दी कि सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 96 के अधीन प्रथम अपील के उपचार की उपलब्धता से रिट अधिकारिता का अवलंब लेना स्वयंमेव वर्जित नहीं हो जाएगा ।

12. सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 2(2) में 'डिक्री' अभिव्यक्ति को निम्नलिखित शब्दों में परिभाषित किया गया है :–

> "(2) 'डिक्री' से ऐसे न्यायनिर्णयन की प्ररूपिक अभिव्यक्ति अभिप्रेत है जो, जहां तक कि वह उसे अभिव्यक्त करने वाले न्यायालय से संबंधित है, वाद में के सभी या किन्हीं विवादग्रस्त विषयों के संबंध में पक्षकारों के अधिकारों का निश्चायक रूप से अवधारण करता है और वह या तो प्रारंभिक या अंतिम हो सकेगी । यह समझा जाएगा कि इसके अंतर्गत वादपत्र का नामंजूर किया जाना और धारा 144 के भीतर के किसी प्रश्न का अवधारण आता है किंतु इसके अंतर्गत –
>
> (क) न तो कोई ऐसा न्यायनिर्णयन आएगा जिसकी अपील, आदेश की अपील की भांति होती है ; और
>
> (ख) न व्यतिक्रम के लिए खारिज करने का कोई आदेश आएगा ।
>
> **स्पष्टीकरण** – डिक्री तब प्रारंभिक होती है जब वाद के पूर्ण रूप से निपटा दिए जा सकने से पहले आगे और कार्यवाहियां की जानी हैं । वह तब अंतिम होती है जबकि ऐसा न्यायनिर्णयन वाद को पूर्ण रूप से निपटा देता है । वह भागत: प्रारंभिक और भागत: अंतिम हो सकेगी ;"

आदेश 7, नियम 13 में यह उपबंधित है कि "इसमें इसके पूर्व वर्णित आधारों में से किसी पर भी वादपत्र के नामंजूर किए जाने पर केवल नामंजूरी के ही कारण वादी उसी वाद-हेतुक के बारे में एक नया वादपत्र

उपस्थित करने से प्रवारित नहीं हो जाएगा" ।

धारा 2(2) में "डिक्री" की परिभाषा में "किसी वादपत्र का नामंजूर किया जाना सम्मिलित समझा जाएगा" । अत: विचारण न्यायालय का वादपत्र को नामंजूर करने का आदेश सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 96 के अधीन प्रथम अपील के अध्यधीन है । अपीलार्थी द्वारा फाइल की गई रिट याचिका इस आधार पर नामंजूर किए जाने योग्य थी । अत: हम रिट याचिका को नामंजूर करने वाले उच्च न्यायालय के निर्णय की अभिपुष्टि करते हैं, यद्यपि उपरोक्त कारण से अपीलार्थी विधि में उपलब्ध उपचार को जारी रखने के लिए स्वतंत्र है ।

13. उच्च न्यायालय ने अपनी पुनरीक्षण अधिकारिता का प्रयोग करते हुए प्रथम और द्वितीय प्रतिवादियों का यह अभिवाक् स्वीकार किया था कि विचारण न्यायाधीश ने आदेश 7, नियम 11(घ) के अधीन आवेदन को मंजूर करने के पश्चात् अपीलार्थी-वादी को समुचित अनुतोषों की ईप्सा करते हुए और न्यायालय फीस का संदाय करके वादपत्र का संशोधन करने की स्वतंत्रता प्रदान करके न्यायोचित नहीं किया था । इस संदर्भ में, आदेश 7, नियम 11 का उल्लेख करना आवश्यक है जिसमें निम्नलिखित उपबंधित है :–

> "**11. वादपत्र का नामंजूर किया जाना** – वादपत्र निम्नलिखित दशाओं में नामंजूर कर दिया जाएगा –
>
> (क) जहां वह वाद-हेतुक प्रकट नहीं करता है ;
>
> (ख) जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन कम किया है और वादी मूल्यांकन को ठीक करने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किए जाने पर उस समय के भीतर, जो न्यायालय ने नियत किया है, ऐसा करने में असफल रहता है ;
>
> (ग) जहां दावाकृत का मूल्यांकन ठीक है, किंतु वादपत्र अपर्याप्त स्टांप-पत्र पर लिखा गया है और वादी अपेक्षित स्टांप-पत्र के देने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किए जाने पर उस समय के भीतर, जो न्यायालय ने नियत किया है,

ऐसा करने में असफल रहता है ;

(घ) जहां वादपत्र में के कथन से यह प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है ;

(ङ) जहां यह दोहरी प्रति में नहीं भरा गया है ;

(च) जहां वादी नियम 9 के उपबंधों का पालन करने में असफल रहता है :

परंतु मूल्यांकन की शुद्धि के लिए या अपेक्षित स्टांप-पत्र के देने के लिए न्यायालय द्वारा नियत समय तब तक नहीं बढ़ाया जाएगा जब तक कि न्यायालय का अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से यह समाधान नहीं हो जाता है कि वादी किसी असाधारण कारण से, न्यायालय द्वारा नियत समय के भीतर, यथास्थिति, मूल्यांकन की शुद्धि करने या स्टांप-पत्र के देने से रोक दिया गया था और ऐसे समय के बढ़ाने से इनकार किए जाने से वादी के प्रति गंभीर अन्याय होगा ।"

ऊपर उद्धृत परंतुक ऐसी स्थिति के संबंध में है, जहां न्यायालय द्वारा मूल्यांकन की शुद्धि के लिए या अपेक्षित स्टांप-पत्र के देने के लिए समय नियत किया गया है । परंतुक के अधीन, इस प्रकार नियत किया गया समय तब तक नहीं बढ़ाया जाएगा जब तक कि न्यायालय का अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से यह समाधान नहीं हो जाता है कि वादी किसी असाधारण कारण से न्यायालय द्वारा नियत समय का पालन करने से निवारित हुआ था और ऐसे समय के बढ़ाने से इनकार किए जाने से वादी के प्रति गंभीर अन्याय होगा । परंतुक के अंतर्गत स्पष्ट रूप से खंड (ख) और (ग) की परिधि के अधीन आने वाले मामले आते हैं और आदेश 7, नियम 11(घ) के अधीन वादपत्र के नामंजूर किए जाने के बारे में लागू नहीं होता है । इन परिस्थितियों में उच्च न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकालकर न्यायोचित किया था कि विचारण न्यायाधीश द्वारा जो अतिरिक्त निदेश दिया गया था, वह विधि के अनुरूप नहीं था ।

14. उपरोक्त कारणों से, हम उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के –

(i) प्रथम और द्वितीय प्रतिवादियों द्वारा फाइल किए गए पुनरीक्षण आवेदन को मंजूर करते हुए ; और

(ii) अपीलार्थी-वादी द्वारा फाइल की गई रिट याचिका को खारिज करते हुए पारित किए गए निर्णय की अभिपुष्टि करते हैं ।

चूंकि रिट याचिका की खारिजी को इस आधार पर कायम रखा गया है कि वादपत्र को नामंजूर करने का आदेश सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 2(2) के अर्थांतर्गत एक डिक्री के रूप में प्रवर्तित होता है, इसलिए अपीलार्थी वादपत्र को नामंजूर करने के विरुद्ध सिविल प्रक्रिया संहिता द्वारा यथाविहित उपचार का आश्रय लेने के लिए स्वतंत्र है ।

15. इन अपीलों का उपरोक्त निबंधनों के अनुसार निपटारा किया जाता है ।

16. लंबित आवेदन, यदि कोई हैं, का निपटारा हो जाता है ।

अपीलों का निपटारा किया गया ।

जस.
